न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 16/2016 निर्णय दिनांक :—04.03.2024

उनवानी दावा :

रामकरण पुत्र श्री कल्याण जाति मीणा निवासी रामथला, तहसील देवली जिला टोंक राज.

—वादी—

बनाम

1— राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज.
2— तहसीलदार देवली जिला टोंक राज.

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :—
श्री आर. एन. तुनगारिया
अधिवक्ता वादी

पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 1 व 2

दावा उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादी को ग्राम रामथला तहसील देवली जिला टोंक में साबिक खसरा नम्बर 35/5 रकबा 5 बीघा भूमि दिनांक 9.11.1975 को पत्रावली संख्या 260 /1975 द्वारा आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया था आवंटन होने के पश्चात नक्शा ट्रेस में तरमीम की जाकर सुपुर्दगीनामा दिया गया तथा गैर खातेदारी दर्ज हुई और तत्पश्चात् खातेदारी दर्ज हुई है। जो नकल जमाबन्दी सम्वत 2033 से 2036 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजी के आवंटन होने से लेकर आज तक उक्त सम्पूर्ण रकबा की भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। देवली तहसील में हाल ही हुए सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट कर्मचारीयों द्वारा काफी अनियमित्तायें की गई जिसके चलते खातेदारी की जमीनों का रकबा कम कर दिया गया अन्य की खातेदारी में लगा दिया गया । तथा भूमियों को खातेदारी से हटाकर सिवायचक दर्ज कर दिया गया। दौराने सेटलमेंट वादी की साबिक खसरा नम्बर 35/5 रकबा 5 बीघा के बदले हाल खसरा नम्बर 82 रकबा 1.18 है0 भूमि दी गई।वादी की खातेदारी की भूमि का रकबा कम कर दिया गया जो सेटलमेंट कर्मचारीयों की गलती व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से किया गया है व कम किये गये रकबे को सिवायचक में अंकन कर दिया गया । वादी की सेटलमेंट से पूर्व की खातेदारी की भूमि को सेटलमेंट कर्मचारीयों को वादी की भूमि का रकबा कम करके सिवायचक दर्ज करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही था वादी की सेटलमेंट से पूर्व की खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 35/5 रकबा 5 बीघा थी । सेटलमेंट के दौरान नये खसरा नम्बर 82 बनाते हुए रकबा 1.18 है0 भूमि ही

दी गई जबकि 5 बीघा भूमि के बदले वादी को 1.25 है0 भूमि मिलनी चाहिए थी। उक्त साबिक खसरा नम्बर 35/5 रकबा 5 बीघा के बदले 1.18 है0 भूमि दी जाकर 0.07 है0 भूमि कम दी जाकर 0.07 है0 भूमि को हाल खसरा नम्बर 81 के रकबा 1.84 है0 भूमि सिवायचक में अंकन कर दिया। उक्त खसरा नम्बर 81 के पुराने साबिक खसरा नम्बर 35/7 है। जो साबिक खसरा नं. 35 के ही भाग है। सेटलमेंट कर्मचारीयों को वादी की खातेदारी भूमि का रकबा कम करने का अधिकार नहीं था। वादी को सेटलमेंट कर्मचारीयो की गलती से कम किये गये रकबे को पुनः अपनी खातेदारी में लगवाने का अधिकार है। वादी का दौराने सेटलमेंट में कम किये गये रकबे पर आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस कारण यह वाद प्रस्तुत है। ग्राम रामथला में 25 एयर में एक बीघा होता है। वादी के कम किया गया रकबा सिवायचक अंकन होने से प्रतिवादी नं. 2 वादी को कभी भी बेदखल कर सकते है तथा मौके पर कई अन्य व्यक्ति वादी को अपनी भूमि से बेदखल करने से आमादा है इसलिए प्रतिवादी नं. 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी को अपनी कम की गई भूमि से बेदखल नहीं करे तथा भूमि को अन्य किसी के अलाट नहीं करे। तहसीलदार देवली जिला टोंक राज. उपरोक्त उनवानी वाद में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होने से वाद प्रस्तुती से पूर्व दो माह का धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वाद अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण अर्थात् वाद प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया गया तो प्रतिवादी नं.2 वादी की सेटलमेंट के दौरान कम की गई भूमि को अन्य को अलाट कर सकते है, बेदखल कर सकते है इस कारण वाद बिना नोटिस दिये ही प्रस्तुत किया जा रहा है एव वाद प्रस्तुती की अनुमति हेतु अलग से 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जा रहा है। वाद कारण हाल ही उत्पन्न हुआ है। जब वादी अपनी कम किये गये रकबे की भूमि में फसल काश्त करने गया तो मौके पर कई व्यक्ति वादी को बेदखल करने से प्रतिवादी नं. 2 भी वादी को उक्त आराजी से बेदखल कर अन्य को अलाट करने पर आमादा होने से जारी हुआ है जो लगातार हो रहा है। विवादित आराजीयात ग्राम रामथला में स्थित होने से श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत वाद को श्रवणाधिकार श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त है। वाद अन्तर्गत धारा 88, 92 ए, 188, 209 आरटीएक्ट के तहत उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। वादी की अधियाचना है कि वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिकी किया जावे किः–

अ–वादी को हाल खसरा नम्बर 81 रकबा 1.84 है0 भूमि में से 0.07 है0 भूमि ग्राम रामथला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित भूमि को वादी को खातेदारी की उद्घोषणा की जाकर तअनुरूप राजस्व रिकार्ड में वादी के खातेदारी में अमल दरामद किया जावे।

ब–प्रतिवादी नं. 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 81 रकबा 1.84 है0 में से 0.07 है० भूमि वाके ग्राम रामथला से वादी को बेदखल नहीं करे, आराजी को अन्य को अलाट नही करे।

स–अन्य सहायता जो वादी के हित में हो धारा 209 आरटीएक्ट के तहत प्रदान की जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:– 1. वाद पत्र का चरण संख्या 1 आंशिक रूप से स्वीकार है। 2. वाद पत्र का चरण संख्या 2 स्वीकार नहीं है। 3. वाद पत्र का चरण संख्या 3 स्वीकार नहीं है, क्योंकि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कब्जे के आधार पर तरमीम कार्य किया गया है। 4. वाद पत्र का चरण 4 स्वीकार नहीं है। 5. वाद पत्र का चरण 4 से 9 न्यायालय द्वारा विचाराधीन होने से जवाब अपेक्षित नहीं है। भू–प्रबन्ध द्वारा वादी के कब्जे के आधार तरमीम की गई है।

पत्रावली में तनकियात कायम कर सनाये गये।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वादी रामकरण पुत्र कल्याण कोम मीणा निवासी रामथला का पेश किया और वादी ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:– प्रदर्श–1 नकल, जमाबंदी सम्वत् 2025–28 खाता संख्या 1, प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस साबिका प्रदर्श–3 अनाधिकृत सिवायचक भूमि का पट्टा दिनांक 09.11.1975 (आवंटन आदेश), प्रदर्श–4 तरमीम नक्शा शीट , प्रदर्श–5 सुपुर्दगीनामा साबिका ख. नं. 35/5, प्रदर्श–6 जमाबंदी संवत् 2035–36 खाता संख्या 295, प्रदर्श–7 भू–प्रबन्धक का खसरा पत्रक हाल ख. नं. 81 व 82, प्रदर्श–8 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–9 नामांकन संख्या 457, प्रदर्श–10 जमाबंदी समवत 2046 खाता संख्या 342 पेश किये है। दावा डिक्री करने की प्रार्थना की।

साक्ष्य पी. डब्ल्यू का नियत तारीख पेशी में उपस्थित नहीं होने से जिरह बंद की गई।

अधिवक्ता वादी ने और साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर करने से साक्ष्यवादी बंद की गई।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

पेरोकार द्वारा सरकार द्वारा साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर करने से प्रतिवाादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी को ग्राम रामथला तहसील देवली जिला टोंक में साबिक खसरा नम्बर 35/5 रकबा 5 बीघा

भूमि दिनांक 9.11.1975 को पत्रावली संख्या 260 /1975 द्वारा आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया था आवंटन होने के पश्चात नक्शा ड्रेस में तरमीम की जाकर सुपुर्दगीनामा दिया गया तथा गैर खातेदारी दर्ज हुई और तत्पश्चात् खातेदारी दर्ज हुई है। सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट कर्मचारीयों वादी की साबिक खसरा नम्बर 35/5 रकबा 5 बीघा के बदले हाल खसरा नम्बर 82 रकबा 1.18 है0 भूमि दी गई। जबकि वादी को 1.25 है0 भूमि मिलनी चाहिए थी। वादी की खातेदारी की भूमि कम किये गये रकबे को सिवायचक में अंकन कर रकबा 0.07 है० भूमि को हाल खसरा नम्बर 81 के रकबा 1.84 है० भूमि सिवायचक में अंकन कर दिया। जबकि वादी का दौराने सेटलमेंट में कम किये गये रकबे पर आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः वादी का वाद साबित होने से डिक्री किया जावे।

पेरोकार सरकार बहस मे अनुपस्थित रहे।

पत्रावली में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार हैः–

1. आया वादी विवादित भूमि खसरा नम्बर 81 रकबा 1.84 है0 में से रकबा 0.07 है0 ग्राम रामथला तहसील देवली की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने व दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड के हकदार है? –वादी–

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। इसके लिए वादी ने प्रदर्श–3 अनाधिकृत सिवायचक भूमि का पट्टा दिनांक 09.11.1975 (आवंटन आदेश) में ग्राम रामथला में वादी को ख. नं. 35/5 में 5 बीघा भूमि का आवंटन दर्शित है। प्रदर्श–5 सुपुर्दगीनामा साबिका ख. नं. 35/5 दिनांक 12.11.75 दर्शित है । प्रदर्श–6 जमाबंदी संवत् 2033–36 खाता संख्या 295 में रामकरण पुत्र कल्याण मीणा सा. देह गैर खातेदार के रूप में ख. नं. 35/5 रकबा 5 बीघा दर्शित है। प्रदर्श–7 भू–प्रबन्धक का खसरा पत्रक हाल ख. नं. 81 रकबा 1.84 है0 साबिक ख. नं. 35/7 मिन रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा से व ख. नं. 82 रकबा 1.18 है0 साबिक ख. नं. 35/5 रकबा 5 बीघा से बनना दर्शित है। प्रदर्श–8 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 में ख. नं. 82 रकबा 1.18 है0 साबिक ख. नं. 35/5 रकबा 5 बीघा से बनना दर्शित है। प्रदर्श–9 नामांतकरण संख्या 457 के निर्णय दिनांक 15.05.89 से वादी के गैर खातेदारी से खातेदारी में स्वीकृत हुआ है। प्रदर्श–10 जमाबंदी सम्वत 2046 खाता संख्या 342 में वादी सा. देह गैर खातेदार के रूप में ख. नं. 82 रकबा 1.18 है0 के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है, जिसमें राजस्व कैम्प में नामान्तकरण संख्या 457 से खातेदारी का नोट लगा हुआ है।

अतः उक्त दस्तावेज का विवेचन करने पर किसी भी दस्तावेज से यह साबित नहीं होता है कि वादी का रकबा जो कम हुआ है वह ख. नं. 81 में मिलाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध भू–प्रबन्धक खसरा पत्रक प्रदर्श–7 के अनुसार ख. नं. 35/7 मिन रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा जिसका हाल ख. नं. 81 रकबा केवल 1.84 है0 बनना ही पाया

गया है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम रामथला के आराजी ख. नं. 81 रकबा 1.84 है0 किस्म गै. मु. नाडी के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। पत्रावली में संलग्न हाल नक्शा ट्रेस में वर्णित ख. नं. 84 रकबा 0.30 है0 मुताबिक भू—प्रबन्धक खसरा पत्रक प्रदर्श—7 अनुसार किस्म गै. मु. पाल के रूप में दर्ज है। अतः वर्तमान नक्शा ट्रेस के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ख. नं. 81 जो राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. नाडी है, वह मौके पर नाडी के रूप में उपयोग में आ रही है, जो अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय से प्रभावित होने के कारण प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है तथा प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों में कानुनन खातेदारी अधिकार प्रादुर्भित नहीं होते है। अतः उक्त तनकी में वादी यह स्पष्ट करने में असफल रहा कि उसके खातेदारी के ख. नं. 82 का जो रकबा कम किया गया है, वह ख. नं. 81 में से ही किया गया हो। अतः उक्त तनकी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

2. आया प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा न्यायसंगत है ?

—पेरोकार सरकार —

तनकी नं. 1 के निर्णय अनुसार यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

आदेश

तनकीवार विवेचन से विवादित आराजी पर वादी द्वारा यह साबित करने में असफल रहने से की उसके खातेदारी के ख. नं. 82 का जो रकबा कम किया गया है, वह ख. नं. 81 में से ही किया गया हो, के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 4.03.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली